

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- 723 / FP/UK/ROAD/40773/2019 दिनांक: देहरादून 10 सितम्बर 2021

रोवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड,
देहरादून।

विषय:- जनपद-रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत क्यार्क-बरसूड़ी-भैरो बैंड से जमेथी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.340 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का EDS दिनांक 30.06.2021

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 30.06.2021 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 593/12-1 दिनांक 28.08.2021 से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रेषित विन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	On perusal of KML file, it is noticed that village jamethi is already connected with the road. State govt. may justify the requirement of the road.	The Village jamethi is 0.700 km. away at steep slope of 1:5 to 1:7 from already connected road. in emergency cases villagers travel a steep hill slope of 0.700km. (bridle path) to reach the nearest motor road. On the demand of villagers, this road is proposed and justified.
2	State govt. may submit the path distance from the end point of already constructed Kyark Barsudi motor road to the end point of propose road.	The bridle path distance from end point of already constructed kyark barsudi motor road to the village jamethi is 0.700 km.
3	Detail of the saplings is neither filled online not submitted in the hard copy. State govt. may fill the details of the saplings at para 4 in part-II.	प्रकरण में प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित 60 वृक्षों (चीड प्रजाति) का विवरण पार्ट II के पैरा 4 (ii) में ऑनलाईन भर दिया गया है तथा परियोजना में 0-10 व्यास वर्ग के वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं। वृक्षों के प्रमाण पत्र भी पार्ट II पैरा 13 के Additional information में ऑनलाईन अपलोड किये गये है।
4	Administrative approval for the construction of the proposed road has not been submitted. State govt. may submit/upload the same.	Administrative approval of the propose road is attached at page no 13-15 of the proposal and uploaded online at additional information From A Part-I.
5	राज्य सरकार लाभान्वित होने वाले ग्रामों की स्थिति के०एम०एल० फाईल पर अंकित करते हुये ऑनलाईन पैरा C(ii) (b) पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।	लाभान्वित होने वाले ग्रामों की स्थिति के०एम०एल० फाईल पर अंकित कर ऑनलाईन From-A के पैरा C(ii) (b) में अपलोड कर दिया गया है।

6	राज्य सरकार से अनुरोध है कि उनके द्वारा तीन वैकल्पिक समरेखण का परीक्षण कर उनकी जानकारी प्रस्तुत की जाये तथा उन्हें KML file पर अंकित किया जाये।	उक्त के कम में अवगत कराया गया है कि विषय वर्णित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु एक मात्र वैकल्पिक समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नहीं है।
7	समस्त डम्पिंग वन क्षेत्र में ही क्यों प्रस्तावित की गई है जबकि माग्र में गैर वन क्षेत्र उपलब्ध है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह डम्पिंग हेतु गैर वन क्षेत्र का चयन करें।	उक्त मोटर मार्ग के प्रस्तावित समरेखण के प्रारम्भिक बिन्दु के 14 कि०मी० तक पंचायती व आरक्षित वन भूमि पड़ती है तथा गैर वन क्षेत्र समरेखण के अन्तिम भाग में उपलब्ध है जिसके कारण समस्त डम्पिंग स्थल वन क्षेत्र में प्रस्तावित किये गये हैं।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 723 / FP/UK/ROAD/40773/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

3. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 593/12-1 दिनांक 28.08.2021 के कम में।
4. उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

012

(डॉ० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।